

| | | |
|-------------------|--|--|
| <p>तारीख हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज दीपक बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर-शहर द्वितीय, जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 26 / 2022</p> | <p>नं0 व तारीख अहकाम, जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p> |
| <p>11.03.2022</p> | <p>अपीलार्थी दीपक निवासी घोड़ो का चौक, जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.12.2021 में उसके द्वारा (1) श्रीमान कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर (प्रभारी अधिकारी शाखा एवं अपर जिला कलक्टर-द्वितीय) जोधपुर के पत्र क्रनांक एफ(2)(2)न्यायिक/जांच/2020 /2713 दिनांक 23.11.2020 के पत्र की सम्पूर्ण पत्रावली/फोटो/शिकायत /की गई कार्यवाही/रिपोर्ट सम्पूर्ण पत्रों की जानकारी (2) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-शहर द्वितीय, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर-शहर द्वितीय, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर-शहर द्वितीय, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-शहर द्वितीय, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो आदेश सुनाया गया।</p> | |